(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 69/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 28 मार्च, 2018

विषयः डीएफआईए स्कीम के तहत खांड के आयात के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में संशोधन के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन निम्नानुसार करते हैं:

1. **पैरा 4.54 (घ) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः**

(घ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 में दिए गए विलंब शुल्क कटौती के प्रावधान डीएफआईए के लिए भी लागू हैं। तथापि, सिओन ङ.52 के अंतर्गत खांड के निर्यात के संबंध में विलंब शुल्क कटौती करने के लिए 12 महीने की छूट देने का प्रावधान किया गया है।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः डीएफआईए के तहत सफेद चीनी का निर्यात विदेश व्यापार नीति के संशोधित पैरा 4.25 (ग) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन अनुमत है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

[फा० सं० 01/94/180/एए–चीनी/एएम–09/पीसी–4 से जारी]